

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 26/12/19

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले सिविल मामलों की पैरवी हेतु नवनियुक्त श्री शैलेष शर्मा, एडिशनल गवर्नर्मेंट कॉसिल को निम्नांकित विभागों का आवंटन किया जाता हैः—

1. विशेष योग्यजन विभाग
2. इंदिरा गांधी नहर विभाग
3. निर्वाचन विभाग

आज्ञा से,

‘हु०।—

प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समर्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समर्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नर्मेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. समर्त अति० महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय; जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज० लोक सेवा अःयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

*H/26/12/19*  
(हुक्म सिंह राजपुरोहित)  
शासन सचिव,विधि

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प0 12(15) राज/ वाद/ 08,पार्ट

जयपुर दिनांक 26/12/19

**:: आदेश ::**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले सिविल मामलों की पैरवी हेतु  
नवनियुक्त श्री शैलेष शर्मा, एडिशनल गवर्नर्मेंट कॉसिल को निम्नांकित विभागों का आवंटन किया जाता  
है:-

1. विशेष योग्यजन विभाग
2. इंदिरा गांधी नहर विभाग
3. निर्वाचन विभाग

आज्ञा से,  
ह0/-  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव/ विशेषाधिकारी, मा० मुख्यमंत्री/ निजी सचिव, मा० उपमुख्यमंत्री/ निजी सचिव,  
मा० विधि मंत्री/ मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ जिलाधीश/ विभागाध्यक्ष/ सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/ गवर्नर्मेंट काउन्सिल, जयपुर/ जोधपुर।
6. समस्त अति० महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/ संयुक्त विधि परामर्शी/ उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

ह0/-  
(हुक्म सिंह राजपुरोहित)  
शासन सचिव, विधि